उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-59/2016/2564/30-3-16-03बी/2015
लखनऊ, दिनॉक 30 सितम्बर, 2016

संशोधन/शुद्धि-पत्र

प्रदेश के पूर्व निर्मित संभागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद के भवन की रंगाई-पुताई कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत मानक मद से धनराशि रू0 6.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-47/2016/1791/30-3-16-03बी/2015, दिनॉक 26-07-2016 के प्रस्तर-1 की चौथी पंक्ति एवं प्रस्तर-2 की दूसरी पंक्ति में त्रुटिवश अंकित **आयोजनागत पक्ष** के स्थान पर "**आयोजनेत्तर पक्ष"** पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश तदनुसार संशोधित माना जाय। शासनादेश के शेष अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू माने जायेंगे।

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव।

संख्या- 59/2016/2564(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
6- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।